

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर**

(जी-3, राजमहल पैलेस राजस्थान प्रिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गीदम जयपुर-302013)  
(टेलीफोन-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई-1/डीएलपी/2024/1869  
--आदेश:-

दिनांक: 22/2/24

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	जयकिशन सैनी	स्वास्थ्य निरीक्षक-द्वितीय	जयपुर ग्रेटर	चौमू
2.	संदीप कविया	स्वास्थ्य निरीक्षक-द्वितीय	चौमू	किशनगढ़ (अजमेर)
3.	बृजेश शर्मा	कनिष्ठ सहायक	मांगरोल (स्थानान्तरणधीन)	वारां
4.	राजेश बंजारा	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	अजमेर
5.	मनोज कुमार भारद्वाज	कनिष्ठ सहायक	देवगढ़	नाथद्वारा
6.	हितेन्द्र सुखेजा	विद्युत हैलपर	अलवर (स्थानान्तरणधीन)	जयपुर हैरिटेज (विद्युत हैलपर के मूल पद पर)
7.	पूजा शर्मा	फायरमैन	अजमेर	चौमू (मीना नासना के स्थान पर)
8.	मीना नासना	फायरमैन	चौमू	अजमेर (पूजा शर्मा के स्थान पर)
9.	त्रिकांत सिंह राठौड़	फायरमैन	फुलेरा	जयपुर (ग्रेटर) (रविन्द्र सिंह के स्थान पर)
10.	रविन्द्र सिंह	फायरमैन	जयपुर (ग्रेटर)	फुलेरा (त्रिकांत सिंह के स्थान पर)
11.	विष्णु कुमार	फायरमैन	अलवर	जयपुर (हैरिटेज) (राजेश परेवा के स्थान पर)
12.	राजेश कुमार परेवा	फायरमैन	जयपुर (हैरिटेज)	अलवर (विष्णु कुमार के स्थान पर)
13.	हीरालाल बच्चानी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सीकर	पुष्कर
14.	मनोज कुमार पांचाल	सफाई कर्मचारी	इटावा	कोटा
15.	राजेन्द्र कुमार मीना	सफाई कर्मचारी	नैनवां	जयपुर (ग्रेटर)
16.	मो0 फारूख	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	रींगस

उपर्युक्त कार्मिकों को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा।

नोट:-


- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन भत्ते का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविंदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. रिक्त पद होने पर ही सम्बन्धित कर्मचारी को ज्वाइन करावे।
06. कार्मिक को अपने मूल पद पर ही कार्यग्रहण करावे एवं सफाई कर्मचारी से मूल पद का ही कार्य करवाया जावे।
07. माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने पर उक्त स्थानान्तरण लागू नहीं होंगे।

  
 (सुरेश कुमार आला)  
 निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई-I/डीएलबी/2024/1970-1905 दिनांक: 22/2/24  
 प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई. टी. अनुभाग, निदेशालय को लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड की कार्यवाही करें।
7. संबन्धित कर्मचारी श्री/श्रीमती .....।
8. सुरक्षित पत्रावली।

  
 (चांद मल वनी)  
 अतिरिक्त निदेशक